

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

दूरभाष 0141-2740735, फेक्स 0141-2742309, ई मेल: jacct.dta@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)पदस्थापन/अलेसे-आ, आ/ 2178

जयपुर दिनांक :- 22.01.2025

शुद्धि-पत्र

विभागीय आदेश संख्या 246/2024-25 दिनांक 15.01.2025 में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं :-

1. विभागीय आदेश के क्रम सं. 247 के कॉलम सं. 03 में अंकित "श्याम प्रसाद सैनी" (लिंक नं. 13064) के स्थान पर "श्याम प्रकाश सैनी" पढ़ा जावे।
2. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 355 पर अंकित खुशबू शर्मा (लिंक नं. 11984), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 06 में "श्री सचिन शर्मा, सलेअ-आ के स्थान पर" के स्थान पर "सलेअ-आ के रिक्त पद पर" पढ़ा जावे।
3. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 334 पर अंकित रचना पालीवाल (लिंक नं. 10201), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 06 में "मृगाक्षी शर्मा" के स्थान पर "सलेअ-आ के रिक्त पद पर" पढ़ा जावे।
4. विभागीय आदेश के क्रम सं. 224 पर अंकित रीना जैन (लिंक नं. 10586) सलेअ-आ के कॉलम सं. 06 में अंकित "श्री प्रवीण कुमार भगवत, सलेअ-आ के स्थान पर" के स्थान पर "सलेअ-आ के रिक्त पद पर" पढ़ा जावे।
5. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 295 पर अंकित कैलाश चन्द शर्मा (लिंक नं. 2705), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 06 में "श्री जितेश तिवाड़ी के स्थान पर" के स्थान पर "सलेअ-आ के रिक्त पद पर" पढ़ा जावे।
6. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 186 पर अंकित धीरेन्द्र सिंह (लिंक नं. 10983), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 06 में "सलेअ-आ के पद पर कार्यरत रणजीत सिंह राठौड़, सलेअ-आ के स्थान पर" के स्थान पर "वनिता रानी, सलेअ-आ के स्थान पर" पढ़ा जावे।
7. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 68 पर अंकित रीना यादव (लिंक नं. 10561), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 06 में "रिक्त पद पर" के स्थान पर "सलेअ-आ के पद पर" पढ़ा जावे।
8. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 108 पर अंकित अलका अग्रवाल (लिंक नं. 10398), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 06 में "रिक्त पद पर" के स्थान पर "क.ले. के पद विरुद्ध" पढ़ा जावे।
9. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 58 पर अंकित हिमांशु चारण (लिंक नं. 12055), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 06 में "रिक्त पद पर" के स्थान पर "सलेअ-आ के विरुद्ध रिक्त पद पर" पढ़ा जावे।
10. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 294 पर अंकित अंजनी कुमार (लिंक नं. 23286), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 06 में "रिक्त पद पर" के स्थान पर "सलेअ-आ के विरुद्ध रिक्त पद पर" पढ़ा जावे।
11. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 154 पर अंकित गोविन्द प्रसाद सिंघल (लिंक नं. 12999), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 04 में वर्तमान कार्यालय "कार्यालय तहसील भुसावर, भरतपुर" के स्थान पर "स्थानान्तरणाधीन कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर" पढ़ा जावे।
12. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 150 पर अंकित इन्द्रजीत (लिंक नं. 23300), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 05 में नवीन कार्यालय में पद रिक्त नहीं होने के कारण "अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (परिवार कल्याण) विभाग, हनुमानगढ़" के स्थान पर "श्रीमती नर्मदा देवी बिहानी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नोहर" एवं कॉलम संख्या 06 में "सलेअ-आ के पद पर" के स्थान पर "सलेअ-आ के विरुद्ध रिक्त पद पर" पढ़ा जावे।
13. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 117 पर अंकित दिनेश शर्मा (लिंक नं. 10324), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 05 में नवीन कार्यालय "मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, जयपुर" के स्थान पर "प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, शिक्षा विभाग(उच्च), जयपुर" एवं कॉलम संख्या 06 में "सलेअ-आ के रिक्त पद पर" पढ़ा जावे।
14. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 235 पर अंकित अरविन्द कुमार सुथार (लिंक नं. 12692), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 05 में नवीन कार्यालय में सलेअ-आ का पद स्वीकृत नहीं होने के कारण "अधिशाषी अभियंता एस.एन.आई.पी.खण्ड प्रथम सीएडी इगानप हनुमानगढ़" के स्थान पर "मुख्य अभियंता(उत्तर), जल संसाधन विभाग, हनुमानगढ़" पढ़ा जावे।

15. विभागीय आदेश में एक से अधिक स्थान पर स्थानान्तरण हो जाने के कारण क्रम संख्या 14, 41, 139, 152, 170, 172, 196, 229, 243, 263 पर अंकित सलेअ-II के स्थानान्तरण को विलोपित किया जाता है।


(भूपेश माथुर)

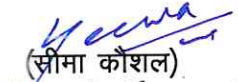
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

जयपुर दिनांक :-22.01.2025

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)पदस्थापन/अलेसे-II, III / 2178

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष..... को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को अविलम्ब कार्यमुक्त कर नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।
3. संबंधित कोषाधिकारी
4. श्री..... कनिष्ठ लेखाकार/सलेअ-II को कार्यालय.....को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय से कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण काल का उपयोग किये बिना तत्काल नवपदस्थापन कार्यालय में आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर सूचना फेक्स अथवा विभागीय ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवाये।
5. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I/II) कार्यालय हाजा।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
7. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट/पीआईएस (कॉईन्स) पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।


(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)